

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

29.07.2025 / 09:20बजे

आकाशवाणी शिमला

प्रादेशिक समाचार सुनिए।

मौसम

प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। मंडी जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले आठ घंटों में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि एक अन्य अब तक लापता है। इधर चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और मंडी-पठानकोट राजमार्ग भी कई स्थानों पर भूस्खलन से यातायात के लिए बाधित है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बीती रात से जारी मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारी वर्षा से हुई तबाही में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। मृतकों में मंडी शहर के जेलरोड निवासी बताए गए हैं। एक का शव मलबे में दबा मिला है जबकि अन्य दो की तलाश जारी है। वर्षा इतनी भीषण रही कि मंडी जिला की प्रमुख सड़कें जेलरोड और हॉस्पिटल रोड उफनते नालों के कारण नदी जैसी बन गईं। मलबा बहकर सड़कों पर आ गया जिससे यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया। कई घरों की निचली मंजिलों में कीचड़ और पानी भर गया दो पहिया और चार पहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है लेकिन लगातार हो रही वर्षा राहत कार्यों में बड़ी बाधा बनी है। उधर चंडीगढ़-मनाली उच्च राष्ट्रीय मार्ग और मंडी-पठानकोट उच्चराष्ट्रीय मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है जिस कारण दोनों पर यातायात पूरी तरह से बंद है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और पुलिस राहत कार्यों में जुड़ी है जबकि एन डी आर एफ को भी सतर्क रहने को कहा गया है। ..

मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

मंत्रिमंडल

प्रदेश सरकार मानसून में हुए नुकसान से प्रभावित परिवारों को वर्ष 2023 की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की चार दिवसीय बैठक के पहले दिन कल ये निर्णय लिया गया। आपदा राहत के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार घरों का सामान बहने, खेती योग्य भूमि के क्षतिग्रस्त होने, फसल व पशुधन क्षति, और मकानों में सिल्ट आने पर भी राहत राशि घोषित की गई है। मंत्रिमंडल ने भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसे घोटाले पर रोक लगाने के लिए एक अहम विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें ऐसे मामलों

में तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज भी राज्य सचिवालय में केबिनेट बैठक जारी रहेगी।

किसान प्रदर्शन

वन भूमि में अतिक्रमण मामलों में सेब के पेड़ों के कटान के प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिमला के पूर्व उपमहापौर टिकेन्द्र सिंह पंवर की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं। हाल ही में शिमला जिला के कई क्षेत्रों में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार हजारों सेब के पेड़ काटने की प्रक्रिया जारी थी जिसे टिकेन्द्र पंवर ने अपनी याचिका में पर्यावरण सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।

ये हमारे पहाड़ियों के लिए जो हम हिमाचल में हैं एक इमोशनल सवाल भी था। बहुत सारे तोये जंगल तो सरकार के पास ही थे तो इनका काटना बिल्कुल वाजिब नहीं था। उसमें हमने कहा कहा था तो हार्वेस्ट सीजन है तो आप उसके प्रोड्यूस का इस्तेमाल कीजिए लारजल इंटरेस्ट क्या है इसमें इनवायरमेंट इम्पेस्ट असेसमेंट होती है। उस इनवायरमेंट इम्पेस्ट असेसमेंट का कोई जिक्र नहीं है कि इस इम्पेक्ट क्या पड़ेगा हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से जो हमारे यहां लैंड स्लाइड हैं बाढ़ आ रही है।

इधर वन भूमि से बेदखली, फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करने और किसानों-बागवानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ द्वारा शिमला में प्रदेश सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन का आहवान किया गया है।

एचआरटीसी बैठक

हिमाचल पथ परिवहन निगम और बस अड्डा प्राधिकरण की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दो महत्वपूर्ण बैठकें आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में जारी है। बैठक में एच आर टी सी को सशक्त बनाने और बसों के बेड़े को बढ़ाने के अलावा कर्मचारियों के वित्तीय लाभों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन इन दिनों लंबित ओवर टाइम, रात्रि भत्ते और चिकित्सा भत्तों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन ने वित्तीय देनदारियां न मिलने पर पहली अगस्त से ओवर टाइम और रात्रि ड्यूटी न करने का भी फैसला लिया है।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने अलग-अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जारी न करने का आधार धन की कमी नहीं हो सकता।

विमल नेगी मौत मामले से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है ए एस आई पंकज के घर—दफतर में सी बी आई रेड, रिकार्ड जब्त।